सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

अग्रहायण 11, शुक्रवार, *शाके* 1944-दिसम्बर 02, 2022
Agrahayana 11, Friday , Saka 1944- December 02, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 02, 2022

संख्या एफ 5(1)चिस्वा./ ग्रुप-3/2022 :-खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (34 of 2006) की धारा 37(2) मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विभिन्न संवर्ग के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण,नई दिल्ली से प्रषिक्षण प्राप्त विभागीय कर्मचारियों को, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से नियमित नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के उपलब्ध होने अथवा एक वर्ष तक की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (34 of 2006) की धारा 38 मे निहित प्रावधानो के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन करने हेतु अधिकृत किया जाता हैः-

क्रम सं.	विभागीय कर्मचारी का नाम	मूल पद
1	Mr.Ummed Mal Tailor	Sr LT
2	Mr.Rajendra Sharma	Sr Radio Grapher
3	Mr.Ghanshyam Lal Sharma	LT
4	Mr.Sunil Kumar Pamecha	Nursing Officer
5	Mr.Narendra Singh Chouhan	Junior Assistant
6	Mrs. Neha	Nursing Officer
7	Mr.Ashok Kumar Lakhera	LT
8	Mr.Mukesh Prajapat	LT
9	Mr.Mahendra Singh Mehant Kash	TA
10	Mr.Neeraj Kumar Nagar	LT
11	Mr.Moji Lal Kumbhkar	TA
12	Mr.Goverdhan Singh Khyalia	Senior Nursing Officer
13	Mr.Narendra Singh Rathore	NT
14	Mr.Girdharee Ram	Senior Nursing Officer
15	Mr.Vinod Kumar N. Parmar	Nursing Officer
16	Mrs.Vijay Kanwar	Nursing Officer
17	Mr. Praveen Choudhary	Nursing Officer
18	Mr. Rajendra Kumar Gahlot	Asst A.D.O
19	Mr.Roop Singh	Sr LT
20	Mr. Vijay Singh	Sr RadioGrapher
21	Mr. BabuLal Taganya	TA
22	Mr.Manish Kumar Sharma	Sr RadioGrapher

23	Mr.Nand Ram	Sr LT
24	Mr.Suresh Kumar Sharma	Senior Nursing Officer
25	Mr.Surendra Kumar	Sr LT
26	Mr.Rafik Mohammed	LT
27	Mr.Hansraj Godara	Sr. Nursing Officer
28	Mr.Kanwar Pal Singh	Sr Radio Grapher
29	Mr.Rakesh Kumar Godara	Nursing Officer
30	Mr.Sudesh Kumar Garg	Sr. LT
31	Mr.Dharam Veer	Pharmasist

उक्त समस्त विभागीय कर्मचारी द्वारा निम्न षर्तो के अध्याधीन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित करेंगें।

1. खाद्य षक्तियां प्रदत्त करना एवं उन्हें प्रत्याहरित किये जाने का अधिकार पूर्णतया राज्य सरकार का होगा अर्थात खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिये उपरोक्त विभागीय कर्मचारी किसी भी प्रकार के न्यायिक लाभ (Judicail/Quasi Judicial Benefit) के हकदार नहीं होगें।
2. उपरोक्त समस्त विभागीय कर्मचारी अपने मूल पद के वेतनमान पर ही राज्य कार्य करेंगे, इन्हे किसी प्रकार की कोई वेतन विसंगति का लाभ देय न ही होगा।
3. राजथान लोक सेवा आयोग, अजमेर से नियमित नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध होने के पश्चात उपरोक्त कर्मचारियों को अपने मूल पद पर भेज दिया जावेगा।
4. उक्त कर्मचारियों के स्थानीय कार्यक्षेत्र आवंटन के आदेष पृथक से जारी किये जाऐगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।